

राजस्थान सरकार

बाल अधिकारिता विभाग

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर।

क्रमांक : एफ20(8)(2)बाअवि/किन्या अ/बाकस गठन/010 15131  
बैठक सूचना

जयपुर दिनांक: 23/8/18

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम, 2016 के नियम 87 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक दिनांक 27.08.18 से 30.08.18 तक संलग्न कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे, माननीय न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री नरेन्द्र कुमार जैन जी की अध्यक्षता में निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग, 20/198, कावेरी पथ, सेक्टर-2, मानसरोवर, जयपुर के कक्ष में आयोजित की जा रही है। बैठक का एजेन्डा पृष्ठांकन पर दिये अनुसार है। बैठक में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है।



सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति,

क्रमांक : एफ20(8)(2)बाअवि/किन्या अ/बाकस गठन/015 15132-43 जयपुर दिनांक: 23/8/18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1 विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, अति मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 3 श्री नरेन्द्र जैन जी माननीय न्यायमूर्ति (से.नि.), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय चयन समिति।
- 4 उपसचिव, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर
- 5 श्री एस.पी.सिंह, सदस्य, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
- 6 श्री कुंज बिहारी शर्मा, विद्या भारती, राजस्थान, जयपुर
- 7 श्री राधेश्याम शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति।
- 8 श्री गोविन्द खेतावत, जोधपुर, सदस्य, राज्य स्तरीय चयन समिति।
- 9 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन विशिष्ट सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
- 10 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
- 11 लेखाकार, राजस्थान राज्य स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
- 12 स्टोर कीपर/केयर टेकर मुख्यालय को बैठक कार्य दिवसों में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु।
- 13 रक्षित पत्रावली।



सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय चयन समिति,

3

माननीय न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री नरेन्द्र जैन जी की अध्यक्षता में दिनांक 27.08.18  
से 30.08.18 तक अपराह्न 11:00 बजे आहूत राज्य स्तरीय चयन समिति की  
बैठक का एजेन्डा

1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड के रिक्त पद हेतु साक्षात्कार उपरान्त योग्य व्यक्तियों का चयन कर राज्य सरकार को सिफारिश करना।

2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 की धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति के रिक्त पद हेतु साक्षात्कार उपरान्त योग्य व्यक्तियों का चयन कर राज्य सरकार को सिफारिश करना।

साक्षात्कार हेतु निर्धारित दिवस

क्र.सं.	जिले का नाम	रिक्त पद	साक्षात्कार हेतु आवेदकों की संख्या	प्रस्तावित दिनांक	बोर्ड/समिति
1	टोंक	1- सदस्य पद	13	27.08.18	किशोर न्याय बोर्ड
2	बाडमेर	2-सदस्य, जिसमें से एक महिला आवश्यक	12	27.08.18	किशोर न्याय बोर्ड
3	झालावाड	2-सदस्य, जिसमें से एक महिला आवश्यक	13	28.08.18	किशोर न्याय बोर्ड
4	झालावाड	1- सदस्य पद	16	28.08.18	बाल कल्याण समिति
5	नागौर	1-महिला सदस्य पद	9	29.08.18	किशोर न्याय बोर्ड
6	झुंझुनू	1- सदस्य पद	14	29.08.18	बाल कल्याण समिति
7	सवाई माधोपुर	2-सदस्य, जिसमें से एक महिला आवश्यक	32	30.08.18	किशोर न्याय बोर्ड